

राजस्थान सरकार

( कायदा - 129 )

जनरल रूल्स सिविल रूल्स 129 अपेन्डेंक्स फार्म नंबर 8 के  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बिजौलिया जिला - भीलवाड़ा (राज.)

2024/81

किस्म मुकदमा	नंबर मुकदमा	तारीख दायर	तारीख फैसला	पेशी दिनांक
1	2	3	4	5
11-128	24/2024	15/2/2024		18/3/2024
प्रार्थी पत्र			प्राप्त 29/1/24	

अनवान

श्री मोहन S/O डूंगा धामड

निवासी सफारतजी सा खेड़ा  
राह. बिजौलिया

अधिवक्ता वादी / प्रार्थी / अपीलान्त

डिक्रीदार

श्री रामकूल धामड

श्री अनिल S/O मन्नालाल धामड

निवासी सफारतजी सा खेड़ा  
कमरे. 6

अधिवक्ता प्रतिवादी / विपक्षी / रेस्पोंडेंट

मदयून

श्री .....

# FORM NO. III

## फर्द अहकम

(नियम 26)

अज अदालत

उपखण्ड अधिकारी

मुकाम

बिजौलियां






मोहन

बनाम

अनिल

किरम मुकदमा - 111-128

नम्बर 24 / 2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
15/2 / 2024	<p>प्रार्थना पत्र सीगे से बाद जांच पेश हुआ। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस मय नकल प्रार्थना पत्र जारी हैं। पत्रावली वास्ते तलबी/जवाब दिनांक 18/...3/2024 को पेश हैं।</p> <p style="text-align: center;">               उपखण्ड अधिकारी              बिजौलियां           </p>	
18/3/24	<p>पत्रावली पेश हुई। अभिभाक्क वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् दौरे पर हैं। पत्रावली दिनांक 2/4/24 को तलबी पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">               उप खण्ड अधिकारी           </p>	
21/4/24	<p>पत्रावली पेश हुई। अभिभाक्क वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर हैं। पत्रावली दिनांक 23/4/24 को वास्ते उक्त मोहल पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">               उप खण्ड अधिकारी           </p>	
23/4/24	<p>पत्रावली पेश हुई। अधिकारता प्रार्थी उपस्थित। विपक्षीयों के विरुद्ध छ-पक्षीय कार्यवाही के आदेश पारित किए गए। विपक्षी की वाद-तामील शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली वास्ते निर्णय दोगामी दिनांक 29/4/24 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">               उप खण्ड अधिकारी              बिजौलियां जिला-भीलवाड़ा           </p>	
29/4/24	<p>पत्रावली पेश हुई। अधिकारता प्रार्थी उपस्थित। पत्रावली में आदेश/निर्णय पारित किए गए। पत्रावली में शर्त शुमार, दौरे, नम्बर से कम होकर वाजिब पसर हो।</p> <p style="text-align: center;">               उप खण्ड अधिकारी              बिजौलियां जिला-भीलवाड़ा           </p>	

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या :- 24/24

तारीख 15/02/24

मोहन पुत्र डुंगा जाति धाकड़ उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी सदारामजी का खेडा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाडा (राज0)

.....प्रार्थी

## बनाम

01. अनिल पुत्र मन्नालाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी सदारामजी का खेडा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)
02. रमेश पुत्र हीरालाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी सदारामजी का खेडा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)
03. जगदीश पुत्र जयलाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी सदारामजी का खेडा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)
04. ओमप्रकाश पुत्र मोतीलाल जाति बलाई उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी सदारामजी का खेडा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)
05. बाबूलाल पुत्र चुन्नीलाल जाति बलाई उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी सदारामजी का खेडा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)
06. रामलाल पुत्र जीतमल जाति बलाई उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी सदारामजी का खेडा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

.....विपक्षीगण

## प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 - 128 रा0ले0रे0एक्ट

-: आदेश :-

दिनांक: 29/4/24

प्रार्थना पत्र मोहन पुत्र डुंगा जाति धाकड़ निवासी सदारामजी का खेडा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0) ने जरिये अभिभाषक श्री रामफूल धाकड़ प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते ग्राम सदारामजी का खेडा पटवार हल्का गणेशपुरा तहसील बिजौलियाँ की सरहद में स्थित खाता संख्या 47 पर अंकित आराजी संख्या 41 रकबा 0.2752 हैक्टेयर एवं आराजी संख्या 735/41 रकबा 0.2914 हैक्टेयर कुल किता 02 रकबा 0.5666 हैक्टेयर पर विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगडा करते हैं। अतः पत्थरगढी का आदेश प्रदान कराया जावेँ साथ में प्रार्थना पत्र की ताईद में शपथपत्र संलग्न है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया। प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2076-2079 के अवलोकन से प्रार्थी वादग्रस्त आराजीयात का खातेदार काश्तकार है। पडौसियान के विवाद करने बाबत शपथपत्र संलग्न है। पत्थरगढी से किसी के स्वत्व पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पडता है। भू-अभिलेख निरीक्षक उमा जी का खेडा को पत्थरगढी बाबत कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। कमीश्नर फिस वक्त मौका प्रार्थी अदा करें।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट स्वीकार किया जाकर ग्राम सदारामजी का खेडा पटवार हल्का गणेशपुरा तहसील बिजौलियाँ की सरहद में स्थित खाता संख्या 47 पर अंकित आराजी संख्या 41 रकबा 0.2752 हैक्टेयर एवं आराजी संख्या 735/41 रकबा 0.2914 हैक्टेयर कुल किता 02 रकबा 0.5666 हैक्टेयर बशामलात पडौसियान के पत्थरगढी करने हेतु आदेशित किया जाता है एवं पत्थरगढी शुल्क राशि 100/- रुपये राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियाँ को लिखा जावेँ।

प्रार्थना पत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

आदेश सुनाया गया

उपखण्ड अधिकारी  
बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या - 24/24

तारीख 15/02/24

प्रेषिति :-

तहसीलदार  
बिजौलियाँ

विषय :- प्रकरण संख्या ..... 24 ..... / 2024 पत्थरगढी बाबत।

मोहन पुत्र डुंगा जाति धाकड़ उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी सदारामजी का खेडा तहसील  
बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

.....प्रार्थी

**बनाम**

01. अनिल पुत्र मन्नालाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी सदारामजी का खेडा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)
02. रमेश पुत्र हीरालाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी सदारामजी का खेडा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)
03. जगदीश पुत्र जयलाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी सदारामजी का खेडा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)
04. ओमप्रकाश पुत्र मोतीलाल जाति बलाई उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी सदारामजी का खेडा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)
05. बाबूलाल पुत्र चुन्नीलाल जाति बलाई उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी सदारामजी का खेडा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)
06. रामलाल पुत्र जीतमल जाति बलाई उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी सदारामजी का खेडा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

.....विपक्षीगण

उपर्युक्त विषयान्तर्गत अनवानी प्रकरण में आदेश होकर लेख है कि ग्राम सदारामजी का खेडा पटवार हल्का गणेशपुरा तहसील बिजौलियाँ की सरहद में स्थित खाता संख्या 47 पर अंकित आराजी संख्या 41 रकबा 0.2752 हैक्टेयर एवं आराजी संख्या 735/41 रकबा 0.2914 हैक्टेयर कुल किता 02 रकबा 0.5666 हैक्टेयर की बशामलात पडौसीयान के पत्थरगढी की जावें। मौके पर पत्थरगढी के दौरान कब्जा किसी अन्य का पाया जावे तो जरिये पत्थरगढी कब्जा नही हटाया जावे तथा समक्ष न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने हेतु सूचित करें। आदेश पत्थरगढी हेतु भू-अभिलेख निरीक्षकर उमा जी का खेडा को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर फीस वक्त मौका प्रार्थी अदा करे। पत्थरगढी करने से पहले विपक्षीगणों एवं पडौसीयान को सुचित करते हुए पत्थरगढी करें। पत्थरगढी कर पालना रिपोर्ट 20 दिन में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करे।



उपखण्ड अधिकारी  
बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा